POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 20.08.2025

1. थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित व 20 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा दिनांक **20.08.2025** को गैंगस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त मौ0 अशरफ भट्ट पुत्र मौ0 रमजान भट्ट के मसकन हाल पते पर थाना सैडर जिला श्रीनगर से स्थानीय पुलिस टीम को साथ लेकर दबिश देकर हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त मौ0 अशरफ भट्ट उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गौतमबुधनगर द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था तथा श्रीमान पुलिस उपायुक्त नोएडा गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार 20000 रुपये का ईनाम घोषित किया गया था । गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 अशरफ भट्ट उपरोक्त को न्यायिक ट्रांजिट रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय में पेश किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

मौ0 अशरफ भट्ट पुत्र मौ0 रमजान भट्ट निवासी जफरान कॉलोनी थाना पठान चौक लसजन जिला श्रीनगर, जम्मू कश्मीर हाल पता बाग़त बुरजुल्ला थाना सैंडर जिला श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, उम्र करीब 70 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 495/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सेक्टर-58 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 659/2020 धारा 379/411/414/420/467/468/482/120बी/34 भादवि थाना सेक्टर-58 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 966/2020 धारा 427/379 भादवि थाना सेक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 1177/2020 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-20 नोएडा गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 1416/2020 धारा 379 भादवि थाना कवि नगर गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 31395/2020 धारा 379/411 भादवि क्राईम ब्रान्च, लाजपत नगर दिल्ली
7. मु0अ0सं0 33070/2020 धारा 379 भादवि थाना कालका जी दिल्ली
8. मु0अ0सं0 33554/2020 धारा 379 भादवि थाना गाजीपुर दिल्ली

2. थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/ निशानदेही से चोरी किए गए आभूषण व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी के मकान में किरायेदार बनकर रह रहे अभियुक्त 1. राहुल शर्मा 2. दीपक शर्मा द्वारा वादी के घर से आभूषण चोरी किए गए थे, उक्त प्रकरण के संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 13.08.2025 को थाना रबूपुरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **20.08.2025** को **थाना रबूपुरा पुलि**स द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र रामाशंकर को मिर्जापुर तिराहे के पास से **गिरफ्तार** कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर रजि0नं0- UP38AH8654 बरामद की गई।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा चोरी की गई 02 जोड़ी पायल को सर्राफा को बेचने व अन्य चोरी के आभूषण को अपने घर में छिपाकर रखने की बात कही गई थी, इस आधार पर अभियुक्त का पीसीआर रिमांड प्राप्त कर दिनांक 21.08.2025 को अभियुक्त की निशानदेही से जनपद संभल के भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी की गई 02 चूड़ी (पीली धातु), 05 लेडीज अंगूठी (पीली धातु), 01 जेंट्स अंगूठी (पीली धातु), 01 जोड़ी झुमकें (पीली धातु), 01 जोड़ी कुंडल (पीली धातु), 01 मोतीनुमा कान का बूंदा, 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु) व 02 छोटे पर्स बरामद किए गए है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

राहुल शर्मा पुत्र रामाशंकर निवासी आनंद बिहार कॉलोनी, थाना कोतवाली चंदौसी, संभल, उम्र करीब 21 बर्ष